रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2014/ज्येष्ठ 20, 1936
No. 174] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2014/JYAISTHA 20, 1936

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(भारतीय पुनर्वास परिषद)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2014

फा. सं. 5–62/93.–आरसीआई.–भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34वां) की धारा 29 की उप–धारा (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय पुनर्वास परिषद परीक्षाओं के संचालन, परीक्षकों की अर्हताओं और ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तों हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों को भारतीय पुनर्वास परिषद (परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की अर्हताएं और परीक्षाओं में प्रवेश की शर्त) विनियम, 2014 कहा जाएगा।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. परिभाषाएं – इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34वां) अभिप्रेत है।

(ख) 'परिषद' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद अभिप्रेत है।

(ग) ''राष्ट्रीय बोर्ड'' से अभिप्रेत संगम ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ परिषद के अनुबद्ध निकाय के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) के तहत सोसायटी के रूप में परिषद द्वारा गठित 'पुनर्वास में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड' से है।

(घ) इन विनियमों में प्रयुक्त परन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं, अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम और नियमों में है।

4. परिषद की निर्देश देने की शक्तियां : –

परिषद, राष्ट्रीय बोर्ड को केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा विशेष शिक्षा और विकलांगता पुनर्वास से संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने के निर्देश दे सकती है

5. राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की अर्हताएं और परीक्षाओं में प्रवेशः–

(i) राष्ट्रीय बोर्ड, परिषद द्वारा उचित समझे जाने पर समय–समय पर अनुमोदित किसी भी डिप्लोमा या प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रम की परीक्षाओं या अन्य किसी भी परीक्षा का संचालन करेगा, उन्हें सुगम बनाएगा, उनका आयोजन, समन्वय व निगरानी करेगा।

(ii) राष्ट्रीय बोर्ड, परिषद द्वारा यथा अनुमोदित परीक्षा स्कीमों या उनके भाग के अनुसार परीक्षाओं का संचालन करेगा।

(iii) राष्ट्रीय बोर्ड, परिषद द्वारा यथा अनुमोदित तरीके से सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा और प्रमाणपत्र भी देगा।

(iv) राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों के मूल्यांकन और घोषणा की प्रणाली स्थापित करेगा और वर्ष दर वर्ष आधार पर डाटा बैंक रखेगा।

(v) परीक्षकों के लिए अपेक्षित अर्हता, अनुभव और विशेषज्ञता का निर्धारण, पाठ्यविवरणों और विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुसार परिषद द्वारा किया जाएगा।

(vi) राष्ट्रीय बोर्ड, समय–समय पर परिषद द्वारा यथा निर्धारित अर्हता, अनुभव व विशेषज्ञता के अनुसार परीक्षकों, पेपर मूल्यांकनकर्ताओं तथा संचालकों का पैनल नियुक्त करेगा।

6. राष्ट्रीय बोर्ड का निकाय :–

सामान्य निकाय की संरचना : –

(क) परिषद का अध्यक्ष – अध्यक्ष, पदेन

(ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कम से कम निदेशक स्तर का एक–एक प्रतिनिधि – सदस्य

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से कम से कम निदेशक स्तर का एक प्रतिनिधि – सदस्य

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कम से कम निदेशक स्तर का एक प्रतिनिधि – सदस्य

(ड.) अली यावर राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान मुम्बई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकन्दराबाद, राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान, कोलकाता राष्ट्रीय दृष्टि विकलांगता संस्थान, देहरादून और राष्ट्रीय बहु विकलांगता व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई के निदेशक – सदस्य

(च) परिषद की उप समितियों के अध्यक्ष – सदस्य

(छ) परिषद का सदस्य सचिव – सचिव पदेन

प्रो. (सुश्री) सुदेश मुखोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./182/14]

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Disability Affairs)

(REHABILITATION COUNCIL OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2014

F. No. 5-62/93-RCI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (k) of section 29 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992), the Rehabilitation Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations for conduct of examinations, qualifications of examiners and the condition of admission to such examinations, namely:—

1. **Short Title and Commencement:—** (1) These regulations may be called the Rehabilitation Council of India (Conduct of Examinations, Qualifications of Examiners and the Condition of Admission to Examinations) Regulations, 2014.
2. They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
3. **Definitions, –** In these regulations, unless the context otherwise requires ,–
   (a) "Act" means the Rehabilitation Council of India Act, 1992, (34 of 1992);
   (b) "Council" means the Rehabilitation Council of India constituted under section 3 of the Act;
   (c) "National Board" means National Board of Examination in Rehabilitation constituted by the Council as a Society under Societies Registration Act 1860 (21 of 1860), as an adjunct body of the Council with the aims and objective set out in its Memorandum of Association.
   (d) all other words and expressions used in these regulations but not defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act and in the rules made by the Central Government.

4. Powers of the Council to give directions:—

The Council may give directions to the National Board as to co-opt representatives of national institutes dealing with special education and disability rehabilitation setup by the Central or State Governments.

5. Conduct of Examinations, Qualification of Examiners and Admission to Examinations by the National Board:—

(i) The National Board shall conduct, facilitate, organise, coordinate, and monitor examinations for any diploma or certificate level course or any other examination, approved by the Council from time to time as it may deem fit.

(ii) The National Board shall conduct the examinations as per the schemes of examination or part thereof as approved by the Council.

(iii) The National Board shall also award diplomas or certificates to successful candidates in the manner as approved by the Council.

(iv) The National Board shall have a system for evaluation and declaration of results of examination and shall maintain a data bank on a year to year basis.

(v) The qualification, experience and expertise required of the examiners will be decided by the Council in accordance with syllabi and recommendations of the expert committees.

(vi) The National Board shall appoint such panel of examiners, paper evaluators and moderators as it may deem fit from time to time and in accordance with the qualification, experience and expertise as may be prescribed by the Council.

6. General Body of the National Board:-

The composition of the General Body shall be:—

(a) Chairperson of the Council—Chairperson, Ex-officio

(b) Representatives one each from the Ministries of Social Justice and Empowerment, Health, Labour, Finance and Ministry of Human Resource Development, not below the rank of Director — Member.

(c) Representative of National Council of Teacher Education not below the rank of Director — Member.

(d) Representative of Central Board of Secondary Education not below the rank of Director — Member.

(e) Directors Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai, National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata, National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun and National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai — Members

(f) Chairpersons of sub-committees of the Council - Members

(g) Member Secretary of the Council — Secretary Ex-Officio

Prof. (Ms.) SUDESH MUKHOPADHYAY, Chairperson

[ADVT. III/4/Exty./182/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.